

# कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

फ्रमांक: F37(3)/ नि.आ./ बीपीसी(बीपी) / का.वि./ 2018 / ५७४३

दिनांक: 13.09.2018

## —कार्यवाही विवरण:—

भवन मानचित्र समिति (विलिंग प्लान) की 4/2018 वीं बैठक दिनांक 07.09.2018 को माननीय अध्यक्ष महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता परिशिष्ट-“1” पर है।

एजेण्डा संख्या	जोन	विषय	निर्णय
1.	पूर्व	<p>राजस्व ग्राम ढण्ड के खसरा नम्बर 60 के भूखण्ड संख्या 06 क्षेत्रफल 243.48 वर्गगज (203.58 वर्ग मीटर) पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत।</p> <p>आवेदक:— श्री रामदयाल पुत्र श्री चुन्नीलाल, ढण्ड कि ढाणी, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विलिंग प्लान) की 4/2018 वीं बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>आवेदित भूमि पर मौके पर सेट बेक क्षैत्र में स्थित निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन भवन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया —</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>आवेदित भूमि पर मौके पर सेट बेक क्षैत्र में स्थित निर्माण के सम्बन्ध में प्रार्थी से शपथ—पत्र लिया जावे, कि मौके पर सेट बेक क्षैत्र में स्थित निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त ही स्वीकृत भवन मानचित्र अनुसार ही निर्माण किया जावेगा।</li> <li>प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>एकीकृत भवन विनियम 2017 के प्रावधानानुसार संशोधित मानचित्र लिया जावे।</li> <li>भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क लिया जावे तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करवावे।</li> </ol>
2.	पूर्व	<p>राजस्व ग्राम ढण्ड के खसरा नम्बर 02 के भूखण्ड संख्या 5, 6, 11 व 12 क्षेत्रफल 1200.00 वर्गगज (1003.32 वर्ग मीटर) पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत।</p> <p>आवेदक:— श्री हितेश चौहान पुत्र श्री बन्धुलाल, जालौरी गेट, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विलिंग प्लान) की 4/2018 वीं बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>पत्रावली के पैरा-07 पर विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या-2 व 3 ग्राम ढण्ड से सम्बन्धित एक वाद दिलीप भारती व अन्य न्यायालय अपर सिविल न्यायाधिश (कनिष्ठ छण्ड) सं-2 जोधपुर महानगर में लंबित है।</li> <li>प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>आवेदित भूमि पर मौके पर सेट बेक क्षैत्र में स्थित निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन भवन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया —</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>एजेण्डा के बिन्दु संख्या-1 के कम में जोन उपायुक्त की टिप्पणी ली जावे तथा आवेदित भूमि यदि वाद से प्रभावित नहीं है तो ही नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृती जारी की जावे।</li> <li>आवेदित भूमि में प्रस्तावित बेसमेन्ट निर्माण हेतु ग्राउण्ड वॉटर विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जावे।</li> <li>आवेदित भूमि पर निर्माण हेतु नागरीक उड़डयन विभाग से अनापत्ति-पत्र लिया जावे।</li> <li>आवेदित भूमि पर मौके पर सेट बेक क्षैत्र में स्थित निर्माण के सम्बन्ध में प्रार्थी से शपथ—पत्र लिया जावे, कि मौके पर सेट बेक क्षैत्र में स्थित निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त ही स्वीकृत भवन मानचित्र अनुसार ही निर्माण किया जावेगा।</li> <li>प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन</li> </ol>

*for record*  
4/9/2018 ✓ ✓ X

*AT 22 04/09/2018 ✓*

			<p>विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. वार्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>7. भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क लिया जावे तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करवावे।</li> </ol>
3.	परिचय	<p>राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा नम्बर 640 से 644, 646 से 651 के एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 8 बीघा 10 बिस्ता 10 (13799.78 वर्ग मीटर) पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदकः— श्रीमती मधुबाला चौहान, डायरेक्टर मै. करणी ड्वलपर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विलिंग प्लान) की 4/2018 वीं बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. जो10विंप्रा द्वारा जारी पटटा विलेख मे रिसोर्ट व पटटे के साथ जारी साईट प्लान मे वाटर पार्क अकिंत है तथा पूर्व मे जारी साईट प्लान पर नगर विकास न्यास जोधपुर (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम-2001 के अनुसार एम्यूजमेन्ट पार्क/वॉटर पार्क के ही मानदण्ड अकिंत किये गये है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एकीकृत भवन विनियम 2017 अनुसार रिसोर्ट प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन चाहा गया है। अतः समिति द्वारा निम्न विन्युओं पर निर्णय अपेक्षित है-</li> <li>a. प्रकरण मे रिसोर्ट अथवा एम्यूजमेन्ट पार्क/वॉटर पार्क मे से किस के प्रावधानानुसार भवन निर्माण स्वीकृती जारी कि जानी है।</li> <li>b. प्रकरण मे पूर्व मे जारी साईट प्लान पर नगर विकास न्यास जोधपुर (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम-2001 के एम्यूजमेन्ट पार्क/वॉटर पार्क के ही मानदण्ड अकिंत है जबकि प्रार्थी द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 अनुसार रिसोर्ट प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन चाहा गया है।</li> <li>2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र मे आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग 80 फीट दर्शाया गया है, पटटा विलेख मे उक्त सडक को 60 फीट दर्शाया गया है। आवेदित भूमि के उत्तर मे स्थित भूमि पर राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 126 वीं बैठक दिनांक 19.06.2012 के एजेण्डा संख्या-16 मे लिये गये निर्णय अनुसार “मुख्य सडक से आवेदित भूमि तक की लम्बाई एवं 80 फीट चौडाई मानते हुये सडक क्षेत्रफल की गणना कर तदानुसार सडक हेतु प्रस्तावित भूमि का वर्तमान मूल्य की राशि प्रार्थी द्वारा जो10विंप्रा मे जमा करवाइ जायेगी” उक्त के सम्बन्ध मे प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त सडक को 40 फीट से 80 फीट किये जाने हेतु अन्तर राशि कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण मे जमा करवा दी गयी है। जारी मांग पत्र व जमा राशि की रशीद की प्रति पत्रावली मे संलग्न है। उक्त के सम्बन्ध मे जोन स्तर पर सुनिश्चितता अपेक्षित है।</li> <li>3. प्रकरण मे वर्तमान मौका रिपोर्ट (निर्माण व सडक के सम्बन्ध मे) ली जानी अपेक्षित है।</li> <li>4. प्रकरण मे भवन विनियम के प्रावधानानुसार बिना स्वीकृती निर्माण शास्ति ली जानी अपेक्षित है।</li> <li>5. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक मे एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग मे लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.16 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>6. वार्तुविद् से शपथ-पत्र लिया जाना अपेक्षित है।</li> <li>7. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग मे जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात प्रकरण को एजेण्डा मे वर्णित सम्पूर्ण तथ्यों के साथ राज्य सरकार को मार्गदर्शन बाबत भिजाये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त होने के पश्चात भवन मानचित्र जारी किया जावे।</p>
4.	परिचय	<p>राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 827 / 650 एकल संस्थागत(शैक्षणिक व हॉस्टल) प्रयोजनार्थ भूखण्ड क्षेत्रफल 9686.80 वर्गमीटर (8099.13 वर्ग मीटर) पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत।</p> <p>आवेदकः— अध्यक्ष श्रीमाली ब्राम्हण समाज, लूणी कंठा महासमा, धुन्धाडा, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विलिंग प्लान) की 4/2018 वीं बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि पर पूर्व मे भवन निर्मित है, जिस पर बिना स्वीकृती निर्माण की शार्ती ली जानी है।</li> <li>2. प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र मे गणना एफ0ए0आर के आधार पर की गयी है, अतः एकीकृत भवन विनियम-2017 अनुसार संशोधित मानचित्र मय बी0ए0आर की गणना के साथ मंगवाया जाना अपेक्षित है।</li> <li>3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र मे विकलागो हेतु दशाये गये रेम्प की लम्बाई कम है, अतः एकीकृत भवन विनियम-2017 अनुसार संशोधित मानचित्र मे विकलागो हेतु समस्त प्रावधान रेम्प, टॉयलेट व पार्किंग ईत्यादी का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>4. आवेदित भूमि का कुल क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर से अधिक होने से नियमानुसार अपशिष्ट जल शुद्धिकरण संरचन की रक्षापना की जानी होगी तथा उक्त का प्रावधान संशोधित मानचित्र मे दर्शाया जाना अपेक्षित है।</li> <li>5. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक मे एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग मे लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> </ol>

1/10/2018  
H/P/2  
✓ ✓ ✓

X ✓ ✓

✓ O/N/A 2  
9/11/2018

		<p>6. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>7. एकीकृत भवन विनियम 2017 के प्रावधानानुसार संशोधित मानचित्र लिया जावें।</p> <p>8. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</p> <p><b>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन भवन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि पर मौके पर सेट बेक क्षेत्र मे स्थित निर्माण के सम्बन्ध मे प्रार्थी से शपथ-पत्र लिया जावे, कि मौके पर सेट बेक क्षेत्र मे स्थित निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त ही स्वीकृत भवन मानचित्र अनुसार ही निर्माण किया जावेगा।</li> <li>2. प्रकरण में निर्मित निर्माण हेतु बिना स्वीकृती निर्माण शास्ति ली जावे।</li> <li>3. प्रार्थी द्वारा एकीकृत भवन विनियम-2017 के प्रावधानानुसार अनुसार समस्त मानदण्डो को दर्शाते हुये संशोधित भवन मानचित्र प्राप्त किये जावे।</li> <li>4. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपये करेगा।</li> <li>5. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>6. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> </ol>
5.	पश्चिम	<p>राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 659 एकल सामुदायिक भवन प्रयोजनार्थ भूखण्ड क्षेत्रफल 1495.73 वर्ग मीटर भवन निर्माण स्वीकृती बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्री हरिदास व्यास अच्यक्ष सांचीहर ब्राह्मण समाज, निवासी-चौखा, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विलिंग स्लान) की 4/2018 वी वैठक दिनांक 07.09.2018</p>
6.	पश्चिम	<p>श्याम नगर योजना के भूखण्ड संख्या-21, क्षेत्रफल 260.13 वर्ग मीटर पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्रीमती चन्द्रकांता जांगिड पत्नि श्री शत्रुघ्न जांगिड</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विलिंग स्लान) की 4/2018 वी वैठक दिनांक 07.09.2018</p>

Approved  
S. C. S.

✓ 62 ✓

At 29 May 2014

7.	उत्तर	<p>राजस्व ग्राम भदवासिया के खसरा नम्बर 84, 85/1, 88/4 के संयुक्तीकृत भूखण्ड संख्या 540, 541, 564 व 565 क्षेत्रफल 555.55 वर्गगज (464.51 वर्ग मीटर) पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्रीमती बीना कच्छवाह पत्नी स्व. श्री राजेन्द्र कच्छवाह, श्रीमती दिव्या कच्छवाह पत्नी श्री भूपेश कच्छवाह, श्री भूपेश कच्छवाह व पुत्र स्व. श्री गजेन्द्र कच्छवाह व श्रीमती जया भाटी पत्नी डॉ. योगेश भाटी पुत्री स्व. श्री गजेन्द्र कच्छवाह, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विलिंग प्लान) की 4/2018 वीं बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रकरण में मानक वी.ए.आर. 2.00 से अतिरिक्त वी.ए.आर. 0.24 पर बेटरमेन्ट लेवी ली जानी अपेक्षित है।</li> <li>प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>प्रस्तावित बेसमेन्ट हेतु भूजल विभाग से अनापत्ति लिया जाना आवश्यक है।</li> <li>प्रस्तावित बेसमेन्ट विन्दु संख्या 1 के कम में अण्डरटेकिंग प्रस्तावित बेसमेन्ट हेतु भू-जल विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जावें तथा क्षतिपूर्ति बन्द पत्र लिया जावें।</li> <li>एकीकृत भवन विनियम 2017 के प्रावधानानुसार संशोधित मानचित्र लिया जावें।</li> <li>भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क लिया जावें तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करवायें।</li> </ol>
8.	उत्तर	<p>राजस्व ग्राम पुंजला के खसरा संख्या 235/8 एकल आवासीय भूखण्ड क्षेत्रफल 1936.00 वर्गगज (1618.69 वर्ग मीटर) पर आवासीय (फ्लेट्स) प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्री नरसिंह सांखला पुत्र श्री गोपीराम, निवासी मण्डार, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विलिंग प्लान) की 4/2018 वीं बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>वास्तुविद द्वारा अण्डरटेकिंग अपेक्षित है।</li> <li>आवेदक द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र में प्रस्तावित बेसमेन्ट हेतु भू-जल विभाग की अनापत्ति लिया जाना अपेक्षित है।</li> <li>समिति के निर्णय एवं एकीकृत भवन विनियम 2017 के प्रावधानानुसार संशोधित मानचित्र लिया जाना अपेक्षित है।</li> <li>प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन भवन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उपरोक्त एजेण्डा के विन्दु संख्या 1 व 2 के कम में अण्डरटेकिंग / शपथ-पत्र लिया जावें।</li> <li>उपरोक्त एजेण्डा के विन्दु संख्या 1 व 2 के कम में बेसमेन्ट निर्माण हेतु भू-जल विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जावें तथा क्षतिपूर्ति बन्द पत्र लिया जावें।</li> <li>उपरोक्त एजेण्डा के विन्दु संख्या 4 के कम में संशोधित मानचित्र लिये जावें।</li> <li>भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क लिया जावें तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करवायें।</li> </ol>
9.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम बासनी चौहाना के खसरा नम्बर 41/12 क्षेत्रफल 272.01 वर्गगज (227.43 वर्ग मीटर) पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री गुटाराम पुत्र श्री गुमानाराम।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विलिंग प्लान) की 4/2018 वीं बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रकरण में एकीकृत भवन विनियम 2017 के विन्दु सं.8.7(vii) अनुसार अनुज्ञय सेटबेक में आवादित क्षेत्र 25 प्रतिशत से कम प्राप्त होने के कारण अग्र सेटबेक को छोड़कर अन्य में शिथिलता चाही गयी है।</li> <li>प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>वास्तुविद द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दिया गया है।</li> <li>प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदन का निर्णय लिया गया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उपरोक्त एजेण्डा के विन्दु संख्या 1 के कम में अग्र सेटबेक को छोड़कर अन्य में शिथिलता दी जावें।</li> <li>उपरोक्त एजेण्डा के विन्दु संख्या 2 व 3 के कम में अण्डरटेकिंग /</li> </ol>

Approved AS  
Sofie

*[Signature]*

✓ A -2- १८/११

			<p>जावें।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>भविष्य में उक्त योजना में अन्य प्रकरण समान आकार तथा माप के प्राप्त होने पर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।</li> <li>भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क व बेसमेन्ट निर्माण हेतु क्षतिपूर्ति बन्द पत्र लिया जावें तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करायें जाने उपरान्त स्वीकृत टाईप डिजाइन के अनुसार ही स्वीकृति जारी की जावें।</li> </ol>
13.	दक्षिण	<p>व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुमति बाबत।</p> <p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 274/1 वौरह के भूखण्ड संख्या 92/ए क्षेत्रफल 80.00 वर्गगज (50.16 वर्गमीटर)।</p> <p>आवेदक :— श्री अरुण चौधरी पुत्र श्री मांगीलाल चौधरी, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विलिंग प्लान) की 4/2018 वीं बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>आवेदक द्वारा जो.वि.प्रा. (जोधपुर रीजन भवन) विनियम-2013 अनुसार मानचित्र प्रस्तुत किये हैं।</li> <li>जो.वि.प्रा. (जोधपुर रीजन भवन) विनियम-2013 के बिन्दु सं. 8.3(अ) के बिन्दु (iii) के अनुसार पार्किंग का प्रावधान आवश्यक नहीं। अपेक्षित पार्किंग हेतु नियमानुसार शुल्क लिया जाना अपेक्षित है।</li> <li>वर्तमान में एकीकृत भवन विनियम-2017 लागू है, जिसमें नियमानुसार सेटबक व पार्किंग के प्रावधान के परिपेक्ष में पूर्व घैटक दिनांक 08.06.2018 के एजेण्डा की प्रति अवलोकनीय है।</li> <li>जो.वि.प्रा. (जोधपुर रीजन भवन) विनियम-2013 तथा एकीकृत भवन विनियम-2017 के परिपेक्ष में समिति द्वारा निर्णय अपेक्षित है।</li> <li>आवेदक द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र में प्रस्तावित वेसमेन्ट हेतु भू-जल विभाग की अनापत्ति दिनांक 07.06.2018 प्राप्त है। आवेदक से बेसमेन्ट निर्माण हेतु क्षतिपूर्ति बन्द पत्र लिया जाना अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा निम्नाकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदन का निर्णय लिया गया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उक्त योजना में पूर्व में अधिकांश पट्टा विलेख भवन विनियम 2013 के अनुसार जारी है। अतः योजना में 2013 अनुसार भवन विनियम लागू माना जावें तथा स्वीकृत मानचित्र को उक्त योजना का टाईप डिजाइन माना जावें।</li> <li>भविष्य में उक्त योजना में अन्य प्रकरण समान आकार तथा माप के प्राप्त होने पर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।</li> <li>भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क व बेसमेन्ट निर्माण हेतु क्षतिपूर्ति बन्द पत्र लिया जावें तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करायें जाने उपरान्त स्वीकृत टाईप डिजाइन के अनुसार ही स्वीकृति जारी की जावें।</li> </ol>
14.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नं. 309/3 के एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 7810.00 वर्गगज (6530.16 वर्गमीटर) पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुमति बाबत।</p> <p>आवेदक:— श्रीमती चन्द्र कुमारी पत्नी श्री उदयभान सिंह</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विलिंग प्लान) की 4/2018 वीं बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रस्तावित भवन में वर्षा जल संग्रहण हेतु कुल 13 युनिट एवं सौर ऊर्जा उपकरण दर्शाया जाना अपेक्षित है।</li> <li>सड़क सीमा में निर्माण के संदर्भ में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है तदानुसार मानचित्र में संशोधन किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>एन.वी.सी के प्रावधान 30 मी. की दूरी में STAIR-CASE दर्शाई जानी अपेक्षित है। तथा हैंजारडस SAEFTY के संबंध में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।</li> <li>1 पेड़ प्रति 100 वर्गमीटर अनुसार पेड़ दर्शाएं जाने अपेक्षित है।</li> <li>विकलांगों हेतु प्रावधान करते हुए नियमानुसार अन्य संशोधन अपेक्षित है।</li> <li>प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.16 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>वारतुविद् से शपथ—पत्र लिया जाना अपेक्षित है।</li> <li>प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा निम्नाकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदन का निर्णय लिया गया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1, 3, 4 व 5 के कम में संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावें।</li> <li>उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 2 के कम में सड़क सीमा से निर्माण हटाया जावें जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जावें तथा उक्त की सुनिश्चिता के उपरान्त ही मानचित्र जारी किये जावें।</li> <li>उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 6 व 7 के कम में अण्डरटेकिंग/ शपथ—पत्र लिया जावें।</li> <li>भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क लिया जावें तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करवावें।</li> </ol>

15.	दक्षिण	<p>मूल भूखण्ड-खसरा नं. 775/63, 775/69, 1282/775, 1286/775, 1284/775, 1285/775, 1287/775 के अनुमोदित योजना के भू-खण्ड सं. 1 ग्राम जोधपुर (शौभावतो की ढाणी) क्षेत्रफल 21276.34 वर्गमीटर पर प्रस्तावित भवन की एवज में राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नं. 157/3, 157/4 क्षेत्रफल 2995.17 वर्गगज (2503.19 वर्गमीटर) पर EWS/LIG आवासीय इकाईयों के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- प्रदीप एण्ड कम्पनी, ज्ञान स्टोरेज, अशोक कुमार एण्ड कम्पनी रणजीत ब्रदेश, विमल किशोर राठी, निवासी 41 ए/4 पी डब्ल्यू डी कॉलोनी, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विलिंग प्लान) की 4/2018 वी बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रकरण में कार्यालय द्वारा पूर्व में EWS/LIG नहीं बनाये जाने के एवज में जारी शास्ती पत्र की राशि नियमानुसार जमा करायी जावें।</li> <li>राज्य सरकार से प्राप्त पत्र का प्रति उत्तर सम्पूर्ण तथ्यों के साथ भेजा जावें।</li> <li>प्रकरण में शास्ती जमा नहीं किये जाने तक मौके पर निर्माणाधीन भवन को निर्माण बन्द किये जाने की कार्यवाही हेतु उपायुक्त को निर्देशित किया गया।</li> </ol>
15.	(B)	<p>मूल भूखण्ड-खसरा नं. 775/63, 775/69, 1282/775, 1286/775, 1284/775, 1285/775, 1287/775 के अनुमोदित योजना के भू-खण्ड सं. 1 ग्राम जोधपुर (शौभावतो की ढाणी) क्षेत्रफल 21276.34 वर्गमीटर पर पूर्व में आवासीय प्रयोजनार्थ (गुप्त हाउसिंग) अनुमोदित भवन मानचित्र में संशोधन बाबत।</p> <p>आवेदक:- प्रदीप एण्ड कम्पनी, ज्ञान स्टोरेज, अशोक कुमार एण्ड कम्पनी रणजीत ब्रदेश, विमल किशोर राठी, निवासी 41 ए/4 पी डब्ल्यू डी कॉलोनी, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विलिंग प्लान) की 4/2018 वी बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>राज्य सरकार के पत्र दिनांक 06.12.2017 के क्रम में समिति द्वारा निर्णय/राज्य सरकार को प्रति उत्तर भेजा जाना प्रस्तावित है।</li> <li>प्रकरण में पर्यावरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है।</li> <li>प्रकरण की प्रस्तावित ऊचाई 31.05 मीटर है जिसमें स्लिन्थ व स्टिल्ट 1.05+3.0=4.05 मीटर हैं जो नियमानुसार 1.2+2.8=4.0 मीटर से अधिक है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में स्टिल्ट की ऊचाई 2.8 मीटर रखते हुए अनुमोदन किया गया था।</li> </ol> <p>समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रकरण में कार्यालय द्वारा पूर्व में EWS/LIG नहीं बनाये जाने के एवज में जारी शास्ती पत्र की राशि नियमानुसार जमा करायी जावें।</li> <li>राज्य सरकार से प्राप्त पत्र का प्रतिउत्तर सम्पूर्ण तथ्यों के साथ भेजा जावें।</li> <li>प्रकरण में शास्ती जमा नहीं किये जाने तक मौके पर निर्माणाधीन भवन को निर्माण बन्द किये जाने की कार्यवाही हेतु उपायुक्त को निर्देशित किया गया।</li> </ol>
16.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 247 के ब्लॉक संख्या 10 क्षेत्रफल 11616.00 वर्गगज (9710.97 वर्ग मीटर) पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत।</p> <p>आवेदक:- मैसर्स नवकार केरिंग कॉर्पोरेशन जरिये भागीदार श्री महावीर सिंह चौधरी पुत्र श्री चन्दगीराम, टी.टी. बासनी द्वितीय फेस, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विलिंग प्लान) की 4/2018 वी बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रकरण में पट्टा विलेख मध्य पत्ती श्री इमरताराम के नाम जारी है। (पृष्ठ संख्या 8 से 11) जिसके क्रम में पत्रावली के पृष्ठ संख्या 30 पर प्रार्थना पत्र तथा आम मुख्यतयार नामा पत्रावली के पृष्ठ संख्या 12 से 14 हैं जो अवलोकीय हैं।</li> <li>प्रकरण में पूर्ण भूखण्ड की मौका रिपोर्ट लीज व स्वामित्व रिपोर्ट अपेक्षित है।</li> <li>प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</li> <li>वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा मौका स्थिति एवं जारी पट्टा विलेख में भिन्नता होने के कारण समस्त रिपोर्ट मूल भूखण्ड अनुसार पुनः प्राप्त किये जाने एवं नियमानुसार सही पाये जाने पर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>
17.	दक्षिण	<p>व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा बाबत। एस्स व काजरी परिसर के समानान्तर के भूखण्ड संख्या 03 क्षेत्रफल 41.66 वर्गगज (34.83 वर्गमीटर)।</p> <p>आवेदक:- श्री महेश कुमार पुत्र श्री हरमज राम, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विलिंग प्लान) की 4/2018 वी बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>जो.वि.प्रा. (जोधपुर रीजन भवन) विनियम-2013 के बिन्दु सं. 8.3(अ) के बिन्दु (iii) के अनुसार पार्किंग का प्रावधान आवश्यक नहीं। अपेक्षित पार्किंग हेतु नियमानुसार शुल्क लिया जाना अपेक्षित है।</li> <li>वर्तमान में एकीकृत भवन विनियम-2017 लागू है, जिसके बिन्दु सं. 8.2.2 (ख) के बिन्दु (i) के अनुसार योजना में सार्वजनिक पार्किंग का प्रावधान होने पर पार्किंग आवश्यक नहीं है। पूर्व में उक्त योजना में भूखण्ड संख्या 08 पर भवन निर्माण स्वीकृती जोधपुर भवन विनियम-2013 अनुसार जारी है। जिसके अनुसार उक्त भूखण्ड के क्षेत्रफल पर पार्किंग का प्रावधान</li> </ol>

			<p>आवश्यक नहीं था।</p> <p>3. जो.वि.प्रा. (जोधपुर रीजन भवन) विनियम-2013 तथा एकीकृत भवन विनियम-2017 के परिपेक्ष में समिति द्वारा निर्णय अपेक्षित है।</p> <p>4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र में प्रस्तावित वेसमेन्ट निर्माण हेतु भू-जल विभाग की अनापत्ति व आवेदक से वेसमेन्ट निर्माण हेतु क्षतिपूर्ति बन्द पत्र लिया जाना अपेक्षित है।</p> <p>समिति द्वारा निम्नाकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उक्त योजना में पूर्व में भूखण्ड संख्या 08 पर भवन निर्माण रखीकृती जोधपुर भवन विनियम-2013 अनुसार जारी है। अतः योजना में 2013 अनुसार भवन विनियम लागू माना जावें तथा पूर्व रखीकृत मानचित्र को उक्त योजना का टाईप डिजाइन माना जावें।</li> <li>भविष्य में उक्त योजना में अन्य प्रकरण प्राप्त होने पर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।</li> <li>भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क व वेसमेन्ट निर्माण हेतु क्षतिपूर्ति बन्द पत्र लिया जावें तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करायें जाने उपरान्त रखीकृत टाईप डिजाइन के अनुसार ही रखीकृत जारी की जावें।</li> </ol>
18.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 61, 63, 64 व 65 के भूखण्ड संख्या बी-61 क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर (418.06 वर्गमीटर) पर आवासीय प्रयोजनार्थ भवन निर्माण रखीकृती बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्री दिपेश माथुर पुत्र श्री दिनेश चन्द्र, जोधपुर।</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विलिंग प्लान) की 4/2018 वी बैठक दिनांक 07.09.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत कराया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपण करेगा।</li> <li>वार्स्ट्रियद द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करायाई जानी अपेक्षित है।</li> <li>आवेदित भूमि पर मौके पर सेट बैक क्षेत्र में स्थित निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।</li> <li>उपरोक्तानुसार पेड व वृक्षाजल संरक्षण हेतु प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा निम्नाकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उपरोक्त एजेण्डा के विन्दु संख्या 3 के कम में सेट बैक क्षेत्र से निर्माण हटाया जावें जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जावें तथा उक्त सुनिश्चिता उपरान्त ही मानचित्र जारी किये जावें।</li> <li>प्रस्तावित भवन निर्माण से पूर्व नागरिक उड़डयन विभाग से भवन की प्रस्तावित ऊँचाई के परिप्रेक्ष्य में अनापत्ति प्राप्त की जावें।</li> <li>उपरोक्त एजेण्डा के विन्दु संख्या 1 व 2 के कम में अण्डरटेकिंग / शपथ-पत्र लिया जावें।</li> <li>उपरोक्त एजेण्डा के विन्दु संख्या 5 के कम में संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावें।</li> <li>भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क लिया जावें तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करायें।</li> </ol>

अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम रत्नर से अनुमोदित है।

(महेन्द्र सिंह राठौड़)  
अध्यक्ष  
जोधपुर विकास प्राधिकरण

(सुखराम चौधरी)  
निदेशक अभियांत्रिकी  
जोधपुर विकास प्राधिकरण

(दुर्गेश कुमार विस्सा)  
आयुक्त  
जोधपुर विकास प्राधिकरण

(श्रवण सिंह राजावत)  
उपायुक्त (पूर्व)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण

(विरेन्द्र सिंह चौधरी)  
कार्यवाहक सचिव  
जोधपुर विकास प्राधिकरण

(चंद्रल वर्मा)  
उपायुक्त (परिचय)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण

१०.९.२०१४  
(अनिल पूर्णिया)  
उपायुक्त (उत्तर)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण

X  
(राकेश शर्मा)  
उपायुक्त (दक्षिण)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण

१०/०९  
(पी.आर. बेनीवाल)  
निदेशक आयोजना एवं सदस्य  
सचिव  
जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(बीपी)/का.वि./2018/ ४७४३-४७५३  
प्रतिलिपि :— निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हतु प्रवित है।

दिनांक: १३.०९.२०१८

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त (पूर्व), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. उपायुक्त (पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
7. उपायुक्त (उत्तर), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
8. उपायुक्त (दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
9. विशेषाधिकारी अध्यक्ष, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
10. एसीपी को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की बैवसाईट पर अपलोड करें।

निदेशक (आयोजना),  
एवं सदस्य सचिव,  
भवन मानचित्र समिति (बीपी)

परिशिष्ट—“१”  
भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की ०४/२०१८ वीं बैठक दिनांक ०७.०९.२०१८ को जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

1. श्री महेन्द्र सिंह राठोड, अध्यक्ष, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
2. श्री दुर्वा श कुमार विस्सा, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
3. श्री वीरेन्द्र सिंह चौधरी, कार्यवाहक सचिव, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
4. श्री सुखराम चौधरी, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
5. श्री श्रवण कुमार उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा., जोधपुर।
6. श्रीमति चंचल वर्मा, उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा., जोधपुर।
7. श्री अनिल कुमार पूर्णिया, उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा., जोधपुर।
8. श्री राकेश शर्मा, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा., जोधपुर।
9. श्री पी.आर. बेनीवाल निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर।

अध्यक्ष  
संयोजक  
सदस्य  
सदस्य  
सदस्य  
सदस्य  
सदस्य  
सदस्य  
सदस्य  
सदस्य सचिव

निदेशक (आयोजना),  
एवं सदस्य सचिव,  
भवन मानचित्र समिति (बीपी)